फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नाथी — **विपक्षी : श्री रामलाल**

किस्म मुकदमा – 251क रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 49/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.11.2020 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर बाद दोपहर पेश हुई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के अध्ययन से प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रकरण धारा 251क के तहत न्यायालय हाजा मे पेश किया है जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी नये रास्ते कायमी की दाद नहीं चाही गई है। प्रार्थी व विपक्षी की सामलाती भूमि होकर भूमि में बने रास्ते को खुलवाने का प्रार्थना पत्र ही मात्र पेश किया गया है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में पोशनीय नहीं है। रास्ता खुलवाने की दाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में होकर इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होकर तहसीलदार मावली के क्षैत्राधिकार में आता है। अतः उक्त पत्रावली को तहसीलदार मावली को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः मूल ही पत्रावली तहसीलदार मावली को स्थानान्तरित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे। प्रार्थीया दिनांक 12.11.2020 को न्यायालय तहसीलदार मावली में उपस्थित रहे। पत्रावली तहसीलदार मावली को भिजवाई जाकर इस न्यायालय से फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.11.23 17:07:49 IST
Reason: SelfAttested